न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)
पीठासीन अधिकारी– रीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या 285/2018
अनुवान ख्यालीराम बनाम दानाराम आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 113, 128
एल. आर. एक्ट 1956
निर्णय दिनांक 18.11.2019

ख्यालीराम पुत्र हीराराम जाति कुम्हार वर्ष निवासी दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

– प्रार्थी

बनाम्

1. दानाराम पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. दुलाराम पुत्र हीराराम जाति कुम्हार निवासी दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट वास्ते प्रार्थी।
2. श्री कन्दनसिंह एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी संख्या 01।
3. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते अप्रार्थी संख्या 3।

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता के नाम गत ख0 नं0 73 व 84 रोही दल्लूसर की कृषि भूमि खातेदारी में रही है। उनका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात विरास्तन उक्त खसरान की कृषि भूमि पक्षकारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। जिसका विभाजन सहखातेदारान द्वारा आपस में किया जा चुका है। लेकिन किस्तवार में विभाजन के अनुसार कृषि भूमि तरमीम नहीं

है। हस्तगत प्रार्थना पत्र गत ख0 नं0 73 की कृषि भूमि के सम्बन्ध में ही पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी की तन्हा खातेदारी की आराजी ख0 नं0 341/73 तादादी 09 बीघा 10 बिश्वा रोही मौजा दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में अवस्थित है। प्रार्थी के खातेदारी खेत ख0 नं0 341/73 के चिपता उतरी तरफ का खेत ख0 नं0 342/73 तादादी 19 बीघा 11 बिश्वा अप्रार्थी सं0 1 का है तथा प्रार्थी के खेत के दक्षिणी तरफ चिपता खेत ख0 नं0 340/106 तादादी 06 बीघा 01 बिश्वा अप्रार्थी सं0 2 का है। जिसे संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' में प्रार्थी की भूमि को हरा रंग भरकर व अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि को लाल रंग भरकर तथा अप्रार्थी सं0 2 की कृषि भूमि को आसमानी रंग भरकर दर्शाया गया है। प्रार्थी की भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मध्य की भूमि है।

प्रार्थी अपनी भूमि पर ट्रेक्टर से काश्त करवाता है। तब ट्रेक्टर मालिक द्वारा भूमि को नाप कर बीघा के हिसाब से भुगतान लिया जाता है। नापने पर प्रार्थी की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रकबा से कम पाई जाती है। अब प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.05.2018 को अपने खेत का सीमाज्ञान करवाने के लिए अप्रार्थी सं0 3 के कार्यालय में आवेदन किया गया जिस पर अप्रार्थी सं0 3 द्वारा हल्का पटवारी को सीमाज्ञान हेतु आदेशित किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.05.2018 को सीमाज्ञान करवाया गया। तब अप्रार्थी सं0 1 द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही का विरोध किया गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर हल्का पटवारी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत की भूमि अप्रार्थी सं0 1 के खेत की भूमि में शामिल होने की रिपोर्ट नहीं की। जबकि मुताबिक नाप प्रार्थी के खेत की भूमि अप्रार्थी सं0 1 के खेत की कृषि भूमि में शामिल है। प्रार्थी के खेत के नाप के साथ ही अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भी अपने खेत का सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही की गई। जिसके नाप से भी प्रार्थी की भूमि मौके पर कम होना ज्ञात हुई।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 हल्का पटवारी के नाप से सहमत तो हुए लेकिन लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने भूमि प्रार्थी को देने से इनकार कर दिया और अप्रार्थी सं0 2 ने सीमाचिन्ह कायम करने से मना कर दिया। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 वक्त कृषि प्रार्थी को तंग व परेशान करते हैं और अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर प्रार्थी के खेत की सींवे नष्ट करते रहते हैं और उसके

खातेदारी अधिकारों से महरूम कर शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में अनावश्यक बाधा पैदा करते चले आ रहे हैं। इस कारण प्रार्थी के खेत ख0 नं0 341/73 के उतरी व दक्षिणी सींव जो अप्रार्थीगण के खेतों के लगती है पर पुख्ता निशानात कायम कर हद बन्दी की जानी उचित है। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मध्य तनावपूर्ण स्थिति से छुटकारा मिल सके तथा स्थाई रूप से प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मध्य सीमा विवाद समाप्त हो सके और शांति से पक्षकार अपनी कृषि भूमियों को काश्त कर उपज ले सकें। वर्तमान जमाबन्दी तथा नक्शा किश्तवार एवं फर्द मौका रिपोर्ट हमराह प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0 नं0 341/73 तादादी 09 बीघा 10 बिश्वा रोही मौजा दल्लूसर तहसील सरदारशहर के उतरी व दक्षिणी तरफ की सीमा जो अप्रार्थीगण के खेतों को लगती है पर पत्थरगढी की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने के आदेश अप्रार्थी सं0 3 को प्रदान करने कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सःशुल्क तलब किया गया। दिनांक 22.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जाहिर किया कि उन्हें प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं हैं एवं जबाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते। दिनांक 18.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि यदि पत्थरगढ़ी की जाती हैं तो कोई आपत्ति नहीं हैं।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि कृषि भूमि ख0 नं0 341/73 तादादी 09 बीघा 10 बिश्वा रोही मौजा दल्लूसर तहसील सरदारशहर के उतरी व दक्षिणी तरफ की सीमा जो अप्रार्थीगण के खेतों को लगती है पर पत्थरगढी की जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाये तो अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के साथ विवाद समाप्त हो जायेगा एवं पत्थरगढ़ी हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भी सहमति हैं। अतः पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जायें।

पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस में दिये गये तर्कों पर ध्यानपूर्वक गौर किया गया जिससे यह स्थिति सामने आई कि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी की आराजी ख0 नं0 341/73 तादादी 09 बीघा 10 बिश्वा रोही मौजा दल्लूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में अवस्थित है। प्रार्थी के खातेदारी खेत ख0 नं0 341/73 के चिपता उतरी तरफ का खेत ख0 नं0 342/73

तादादी 19 बीघा 11 बिश्वा अप्रार्थी सं0 1 का है तथा प्रार्थी के खेत के दक्षिणी तरफ चिपता खेत ख0 नं0 340/106 तादादी 06 बीघा 01 बिश्वा अप्रार्थी सं0 2 का है। प्रार्थी की भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मध्य की भूमि है।

प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमियों के मध्य स्थित होने से दबी हो सकती है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है। अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सरदारशहर को आदेश दिये जाते हैं कि वह दक्ष पटवारियों एवं गिरदावरों की टीम गठित कर प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 341/73 तादादी 09 बीघा 10 बिश्वा रोही मौजा दल्लूसर तहसील सरदारशहर के उतरी व दक्षिणी तरफ की सीमा जो अप्रार्थीगण के खेतों को लगती है की भूमि के राजस्व नक्शे तरमीम के आधार पर सीमाचिन्ह कायम किये जाकर एवं पैमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढ़ी करावें। पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सरदारशहर को भिजवाई जावें।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2019.12.05 16:56:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: